झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–210/2014/............................/राँची, दिनांक ....

प्रेषकः
ई॰ सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि॰)

सेवा में,
महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 40 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 631.555 लाख (रूपय छः करोड़ ईक्तीस लाख पचपन हजार पाँच सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट–I के अनुसार झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु 40 अदद विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू0 631.555 लाख (रूपय छः करोड़ ईक्तीस लाख पचपन हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. यह प्रस्ताव प्रबंध निदेशक झालको द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर तैयार किया गया है जिसके अनुसार योजनाओं की कुल लागत राशि रू॰ 631.555 लाख है। उक्त योजना से वर्त्तमान में 175 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एंव योजना के पूर्ण होने के उपरान्त लगभग 633 हे॰ खरीफ एवं लगभग 154 हे॰ रब्बी लगभग कुल 787 हे॰ क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध होने का अनुमान है। योजना का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू॰ 80248/–प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर संसूचित है।
4. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ दी जाती है–

(क) प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रस्तावित पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र के लिए जल की उपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

(ख) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ग) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा, एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा (50%) पचास प्रतिशत जाँच क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। **जिस कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(ड॰) वैसे भूखण्ड पर निर्मित होने वाले सिंचाई योजनाएँ जिनमें भू–स्वामी द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखंड के नाम से निजी भूमि का हस्तानान्तरण किया जाता है उनका विधि सम्मत हस्तानान्तरण होने के उपरांत ही योजना निर्माण का कार्य संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कराया जाएगा।

(च) सूची में उल्लेखित योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा सक्षम

प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(छ) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति प्रबंध निदेशक झालको द्वारा दी जाएगी।

(ज) उपरोक्त कंडिका '4' (क), (ख), (ग), (घ), (ड॰), (च) एवं (छ) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. इस कार्य पर होने वाला व्यय निम्नरूप से भारित होगा–

(क) **परिशिष्ट–I** की योजनाओं पर होनेवाली व्यय की राशि बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय– लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उप शीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण" में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. इन योजनाओं को वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में पूर्ण किया जायगा।

7. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जायगा।

8. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।

9. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्रण पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, झालको होंगे।

10. इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

11. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. इस कार्य हेतु राशि की निकासी राँची कोषागार से की जायगी।

13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु:–परिशिष्ट–I

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक: 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–210/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांक: 3/पी॰एम॰सी॰/प्रा0स्वी0–210/2014/............................../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / प्रा0स्वी0–210 / 2014 / .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / प्रबंध निदेशक, झालको, राँची / उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु:–यथोक्त।

ह0/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / प्रा0स्वी0–210 / 2014 / .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची / कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा / पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर / संथालपरगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु:–यथोक्त।

ह0/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / प्रा0स्वी0–210 / 2014 / .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

ह0/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3 / पी॰एम॰सी॰ / प्रा0स्वी0–210 / 2014 / 38/14-15 प्रा॰स्वी॰ / राँची, दिनांक 09.10.2014

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोक्त।

[signature] 9/10/14

(सुनील कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि॰)

[signature] 09/10/14

3_210_14

पार 12

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन TSP अन्तर्गत झालको द्वारा 40 अदद तालाब/आहर/बाँध जीर्णोद्धार हेतु विवरणी

क्र0 सं0	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0 में)			इन्सिडेन्स ऑफ कॉस्ट
						खरीफ	रबि	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बेनागड़िया तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	शिकारीपारा	बेनागड़िया	28.606	22	5	27	1.05948
2	गोलबन्धा तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	गोलबन्धा	22.247	24	5	29	0.76714
3	फरासिमल बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	फरासिमल	22.881	20	2	22	1.04005
4	लकड़ापहाड़ी पोखर का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	लकड़ापहाड़ी	22.336	20	3	23	0.97113
5	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	पचरूखी	11.164	10	3	13	0.85877
6	धोधली पोखर का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	धोधली	18.985	20	2	22	0.86295
7	खूटोजोरी तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	खुटोजोरी	13.198	14	4	18	0.73322
8	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	जरकाही	22.242	20	3	23	0.96704
9	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	हथवारी	22.803	20	4	24	0.95013
10	पहरूडीह बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	पहरूडीह	17.093	10	6	16	1.06831
11	तालाब का जीर्णोद्धार	जामतारा	फतेहपुर	माधोपुर	15.297	15	2	17	0.89982
12	अमवाटिकर चेकडैम का जीर्णोद्धार	लातेहार	मनिका	जलिमा	6.565	14	0	14	0.46893
13	पन्ड्रापानी बांध का जीर्णोद्धार	लातेहार	लातेहार	दुदंगीकला	3.111	10	0	10	0.31110
14	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जरमुण्डी	बेलडीह नीचे टोला	15.500	17	5	22	0.70455
15	गोरा टोली में तालाब का जीर्णोद्धार	खूँटी	मुरहू	गोरा टोली	14.572	13	3	16	0.91075
16	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	दुमका	शहरघाटी	10.410	14	4	18	0.57833
17	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	दुमका	चिरूडीह	11.190	12	3	15	0.74600
18	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	दुमका	बाघापाथर	16.191	16	4	20	0.80955
19	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	दुमका	सिदपहाड़ी	9.560	11	3	14	0.68286
20	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	रंगा	16.900	18	5	23	0.73478

पत्रांक 38/14-15 प्र.सी. दिनांक 09.10.2014

Rajma

क्र० सं०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	गाँव	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे० में)			इन्सिडेन्स ऑफ कॉस्ट
						खरीफ	रबि	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	दुमका	मुरभंगा (एग्रो भवन के नजदीक)	17.082	16	4	20	0.85410
22	तालाब का जीर्णोद्धार	साहेबगंज	बरहेट	बाबुपुर	19.900	17	4	21	0.94762
23	तालाब जीर्णोद्धार	दुमका	सरैयाहाट	बुरीझिलुवा	6.944	10	2	12	0.57867
24	बनकट्टा में तालाब जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	बनकट्टा	11.710	15	3	18	0.65056
25	तालाब जीर्णोद्धार	साहेबगंज	बरहेट	दोरायसंथाली	17.430	18	5	23	0.75783
26	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जरमुन्डी	बेलटिकरी	20.762	25	7	32	0.64881
27	भरतपुर में तालाब का जीर्णोद्धार	सरायकेला–खरसावाँ	राजनगर	भरतपुर	12.120	16	4	20	0.60600
28	मुन्डाकांटी तालाब का जीर्णोद्धार	सरायकेला–खरसावाँ	राजनगर	मुन्डाकांटी	15.260	16	4	20	0.76300
29	चोरबंधा तालाब का जीर्णोद्धार	सरायकेला–खरसावाँ	राजनगर	चोरबंधा	15.260	16	4	20	0.76300
30	महुलबाना बांध का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	महुलबाना	12.000	18	6	24	0.50000
31	रांगाबांध का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	रांगाबांध	16.566	15	5	20	0.82830
32	कुसुमघट्टा बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	मसलिया	कुसुमघट्टा	11.570	10	5	15	0.77133
33	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	रामगढ़	गंगवारा	18.923	16	4	20	0.94615
34	तालाब का जीर्णोद्धार	दुमका	जामा	काठनाला	12.705	12	4	16	0.79406
35	तालाब का जीर्णोद्धार (स्कूल के सामने प्लाट सं0–2022)	जामतारा	नाला	जामदही	15.000	16	4	20	0.75000
36	तालाब का जीर्णोद्धार	जामतारा	नाला	खैरा	19.875	17	4	21	0.94643
37	ककनी में रक्सा बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	सरैयाहाट	ककनी	14.920	14	5	19	0.78526
38	कुरमा बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	सरैयाहाट	कुरमा	16.620	15	5	20	0.83100
39	लावा बाँध का जीर्णोद्धार	दुमका	सरैयाहाट	सिमरिया	15.372	15	5	20	0.76860
40	लोवा पोखर का जीर्णोद्धार	दुमका	सरैयाहाट	लकरबाँक	20.685	16	4	20	1.03425
				कुल :–	**631.555**	**633**	**154**	**787**	

पत्रांक 38/14-15 प्र०स्री० दिनांक 09.10.2014